Film Industry in Concurrent List

3020. SHRI S. PETER ALPHONSE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are considering any proposal to bring film industry in the Concurrent List of Constitution of India; and

(b) whether Government will take steps to levy uniform entertainment tax throughout the country?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) The issue regarding bringing the subject of 'cinema' in the Concurrent List has been taken up with the State Governments to solicit their views and co-operation.

(b) The subject of 'cinema' including entertainment tax, is at present in the State List and, therefore, the centre has requested State Governments to review the Entertainment Tax structure for the overall benefit of the film industry.

हरियाणा में दूरदर्शन / आकाशवाणी केन्द्र

3021. **श्री रामजीलाल:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के कितने प्रसारण केन्द्र हैं और कितने केन्द्र निर्माणाधीन हैं; और

(ख) सभी केन्द्र कब तक पूर्ण रूप से काम करने लगेंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) हरियाणा में इस समय दो रेडियो स्टेशन और दस अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यरत हैं। इस राज्य में एक रेडियो स्टेशन और पांच अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं। हिसार में आकाशवाणी स्टेशन के अगस्त 1998 तक तैयार हो जाने की आशा है और दूरदर्शन परियोजनाओं के 1998-99 के दौरान चालू हो जाने की संभावना है।

फिल्मों / टेलीवीजन के कारण होने वाले सांस्कृतिक प्रदूषण संबंधी समाचार

3022. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मई, 1998 के "दि पायनियर" में "गवर्नमेन्ट टू स्टाप कल्चरल पोल्यूशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में फिल्मों, दूरदर्शन और गीत आदि के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता को प्रदूषित करने का प्रयास हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उसे रोकने के लिए कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

(सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) यह देखा गया है कि कुछ कार्यक्रमों और कथा क्रम में काम, हिंसा आदि का अत्यधिक अनावश्यक चित्रण है और वह प्रासंगिक नहीं है।

(ग) इसके लिए किसी विशेष कानून के बारे में विचार नहीं किया गया है। तथापि, सरकार का संसद में प्रसारण विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है जो विदेशी उपग्रह चैनलों को भारतीय कानूनों और विनियमों की परिधि में लाएगा जिससे कि उनके कार्यक्रमों को विनियमित किया जा सके।

दूरदर्शन द्वारा खरीदी गई परिसंपत्तियों के दुरूपयोग की जांच किया जाना

3023. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान दूरदर्शन द्वारा खरीदी गई प्रसारण और कार्यक्रम संबंधी परिसम्पत्तियों के दुरुपयोग और उनके गायब होने की घटनाओं के संबंध में कोई जांच करायी है;

(ख) क्या राजकोट सहित कई दूरदर्शन केन्द्रों में संपत्ति सहायकों के तैनात न होने से सरकारी खजाने से इन परिसंपत्तियों के गायब होने तथा चोरी होने के भी समाचार हैं;